

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, फैजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद,  
आजमगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, झाँसी, बांदा, बरेली, बस्ती एवं अलीगढ़।  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एस0पी0एम0यू0/मातृस्वा0/जी0डी0एम0/137/2017-18/3682-18 दिनांक: 17.07.2017  
विषय- प्रदेश के 18 मण्डलीय मुख्यालयों जनपदों पर गर्भावस्था में मधुमेह की पहचान एवं प्रबंधन हेतु  
दिशा-निर्देश

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गर्भावस्था में मधुमेह की पहचान एवं प्रबंधन हेतु 18 मण्डलीय मुख्यालयों पर पायलेट योजना स्वीकृत की गयी थी, जिसकी धनराशि का वर्ष 2017-18 में उपयोग किया जाना है। इस हेतु जनपदों को ग्लूकोमीटर, लैन्सेट, स्ट्रिप एवं ग्लूकोज के क्रय हेतु बजट आवंटन एवं क्रय हेतु (आर0सी0 दर सहित) विस्तृत दिशा-निर्देश मातृ स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा दिनांक 20 मई 2017 को पत्रांक-एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जी0डी0एम0/137/2017-18/1239-17 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं दिनांक 27 जून 2017 को पत्रांक-एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जी0डी0एम0/137/2017-18/2605-17 के द्वारा प्रेषित किये गये हैं (प्रतिलिपि संलग्न)।

इस सम्बन्ध में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 25.4.2017 को राज्य स्तर पर किया जा चुका है। इसके पश्चात जनपद में 03 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 28.4.2017 को पत्रांक-एस0पी0एम0यू0/मातृस्वा0/जी0डी0एम0/137/2017-18/608-18 द्वारा प्रेषित किये गये हैं जो माह जुलाई तक पूर्ण हो जायेंगे। इसके पश्चात ए0एन0एम0 एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक 17.07.2017 से प्रारम्भ हो जाना है, जिसके लिये दिनांक 12.07.2017 को पत्रांक-एस0पी0एम0यू0/मातृस्वा0/जी0डी0एम0/137/2017-18/3522-18 द्वारा प्रेषित किये गये हैं।

प्रदेश में गर्भावस्था में मधुमेह की जाँच एवं प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

भारत में गर्भावस्था में मधुमेह की दर लगभग 10 से 14 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में लगभग 9,00,000 गर्भवती महिलाये इससे पीड़ित हैं। अब तक समुदाय में गर्भवती महिलाओं में जी0डी0एम0 की जाँच नहीं हो पा रही थी। गर्भावस्था में मधुमेह से पीड़ित महिलाओं में यदि समय से उपचार नहीं हो पाता है, तो आगे चलकर प्रसूता एवं गर्भवती शिशु में जटिलातायें हो सकती हैं एवं प्रसूता एवं शिशु भविष्य में टाइप-2 मधुमेह से ग्रसित हो सकता है।

गर्भावस्था में मधुमेह से होने वाली जटिलतायें-

1. गर्भवती में होने वाली जटिलतायें

- पॉलीहाइड्रोएमनियोस
- प्री-एक्लेम्पिसिया
- प्रोलॉन्गड लेबर
- ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर
- सिजेरियन सेक्शन
- यूट्राइन एटोनी (गर्भाशय का प्रसव उपरान्त न सिकुड पाना)
- पोस्टपार्टम हेमरेज
- इन्फेक्शन


2. गर्भस्थ शिशु में होने वाली जटिलतायें-

- स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन
- गर्भस्थ शिशु की मृत्यु
- स्टिल बर्थ
- बर्थ डिफेक्ट
- शोल्डर डिस्टोसिया (शिशु का आकार में वृद्धि का कारण)
- बर्थ इन्जरी
- नवजात शिशु में ग्लूकोज की कमी
- इन्फेन्ट रेस्पिरेट्री डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम

भारत सरकार द्वारा सभी महिलाओं के लिये गर्भावस्था में मधुमेह की पहचान एवं उपचार व्यवस्था के लिये दिशा-निर्देश बनाये गये है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में गर्भावस्था में मधुमेह की पहचान एवं प्रबन्धन हेतु 18 मण्डलीय मुख्यालय पर पायलेट योजना स्वीकृत की गयी थी, जिस हेतु ग्लूकोमीटर, लेन्सेट, स्ट्रिप, ग्लूकोज के पैकेट, इन्सयूलिन सिरिंज एवं मिक्सटार्ड इन्सयूलिन का क्रय किया जाना था परन्तु वर्ष 2016-17 में यह पायलेट योजना शुरू नहीं हो पायी थी। अतः इस धनराशि को वर्ष-2017-18 के लिये कमिट कराराया गया था। आर०सी० होने के उपरान्त जनपदों को ग्लूकोमीटर, लेन्सेट स्ट्रिप एवं ग्लूकोज के पैकेट के आर०सी० दर एवं क्रय हेतु धनराशि दिशा-निर्देशों के साथ अवमुक्त किये जा चुके हैं।

गर्भावस्था में मधुमेह की जाँच 18 मण्डलों के उपकेन्द्र एवं अन्य स्वास्थ्य इकाइयों पर एवं ए०एन०एम० द्वारा वी०एच०एन०डी० सत्र पर की जानी है। इस हेतु प्रत्येक ए०एन०एम० को ग्लूकोमीटर, लेन्सेट, स्ट्रिप एवं ग्लूकोज के पैकेट उपलब्ध कराये जाने है, जिससे वी०एच०एन०डी० पर भी गर्भवती महिलाओं की अन्य जाँचों के साथ जी०डी०एम० की जाँच की जा सके एवं गर्भावस्था में मधुमेह से पीड़ित महिलाओं का उपचार एवं प्रबन्धन किया जा सके।

सामुदायिक स्तर पर मधुमेह की जाँच एवं उपचार हेतु फ्लो-चार्ट निम्नवत् है-



## प्रशिक्षण-

इस योजना के अर्न्तगत सभी चिकित्सा इकाइयों एवं आउट-रीच सत्रों में गर्भवती महिला की नियमित जाँच की जायेगी तथा मधुमेह प्रभावित गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य इकाइयों में प्रबन्धन हेतु संदर्भित किया जायेगा। अतः इस कार्यक्रम के लिये सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिये राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। जनपद स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं जिला एवं ब्लॉक स्तर के चिकित्सकों का प्रशिक्षण क्रियाशील है। इसके पश्चात ए०एन०एम० का प्रशिक्षण किया जाना है, जिसमें उन्हें गर्भावस्था के विषय में जानकारी दी जायेगी एवं ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप, लेन्सेट के प्रयोग के विषय में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे ए०एन०एम० का गर्भावस्था में मधुमेह की जाँच करने का कौशल विकसित हो जायेगा।

## 75 ग्राम ग्लूकोज पॉकेट के प्रयोग हेतु दिशा निर्देश-

- कुल ए०एन०सी० का लगभग 10 से 14 प्रतिशत गर्भवती महिलायें गर्भावस्था जनित मधुमेह से पीड़ित हो सकती हैं।

अतः समस्त गर्भवती महिलाओं की 02 बार (प्रथम भ्रमण पर एवं 24-28 हफ्ते में) जी०डी०एम० की जाँच अवश्य की जानी है।

- गर्भवती महिला की प्रथम ए०एन०सी० चेकअप के दौरान मधुमेह की जाँच की जानी है, जिसके लिये गर्भवती महिला को 75 मिली ग्राम ग्लूकोज का एक पैकेट घोल कर पिलाने के उपरान्त, 02 घण्टे पश्चात प्लाजमा ग्लूकोज की जाँच की जायेगी। यदि यह जाँच नकारात्मक- Negative (02hrPG<140mg/dl) होती है तो 24-28 हफ्ते में यह जाँच पुनः की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक गर्भवती महिला की ए०एन०सी० के दौरान 02 बार 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर मधुमेह की जाँच की जानी है।
- यदि मधुमेह की जाँच पॉजीटिव (02hrPG≥140mg/dl) है तो गर्भवती महिला को मधुमेह के लिये पॉजीटिव माना जायेगा। इसके पश्चात गर्भवती महिला को स्वास्थ्य इकाई पर रिफर किया जायेगा, जहाँ चिकित्सक द्वारा उसे 02 सप्ताह के लिये मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी (MNT) (अर्थात् भोजन एवं हल्के-फुल्के व्यायाम) द्वारा प्लाजमा ग्लूकोज को कम करने हेतु प्रबन्धन किया जायेगा। 02 सप्ताह पश्चात पोस्ट पैरेन्डियल प्लाज्मा ग्लूकोज (पी०पी०पी०जी०-दोपहर के भोजन के 02 घण्टे के पश्चात ग्लूकोमीटर द्वारा ग्लूकोज की जाँच) ए०एन०एम० द्वारा किया जायेगा। यदि 02 घण्टे पश्चात पी०पी०पी०जी० नकारात्मक-Negative (02hrPPPG<120mg/dl) है तो यह जाँच द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास(प्रत्येक 02 हफ्ते पश्चात) में प्रसव तक की जायेगी। यदि जाँच पॉजीटिव है तो दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य इकाई पर इन्स्युलिन थेरेपी शुरू कर दी जायेगी। पॉजीटिव जी०डी०एम० वाली गर्भवती महिलाओं में से 10 प्रतिशत को इन्स्युलिन लेने की आवश्यकता हो सकती है।
- इन्स्युलिन लेने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला की पी०पी०पी०जी० (भोजन के 02 घण्टे के बाद) जाँच प्रत्येक 15 दिन बाद की जायेगी, जब तक उसका प्रसव नहीं हो जाता है। यह जाँच इन्स्युलिन की खुराक को रेग्युलेट करने हेतु की जानी है। जिन महिलाओं में मधुमेह की जाँच पॉजीटिव पायी जाये उनकी पुनः जाँच के लिये 75 ग्राम ग्लूकोज का उपयोग नहीं किया जाना है। इन महिलाओं का केवल पी०पी०पी०जी० (अर्थात् दोपहर के भोजन उपरान्त) 02 घण्टे उपरान्त किया जाना है।
- प्रसवोपरान्त 06 सप्ताह बाद इन महिलाओं में पुनः 75 मिली ग्राम ग्लूकोज का एक पैकेट घोल कर पिलाने के 02 घण्टे उपरान्त प्लाजमा ग्लूकोज की जाँच की जायेगी।

## उपचार-



गर्भावस्था में मधुमेह के उपचार हेतु 02 व्यवस्थायें की जानी हैं-

- Medical Nutrition Therapy (MNT) -भोजन एवं पोषण सम्बन्धित
- Medical Management (Insulin Therapy)- इन्स्युलिन थेरेपी

Medical Nutrition Therapy (MNT)- एम०एन०टी० में सैद्धान्तिक तौर पर गर्भावस्था में मधुमेह से पीड़ित महिला को पोषण सम्बन्धी जानकारी दी जानी अति आवश्यक है, जिससे वह समझ सके कि-


- ✓ गर्भवती माँ एवं गर्भस्थ शिशु के विकास के लिये पोषण युक्त आदर्श भोजन क्या है।
- ✓ गर्भस्थ शिशु के विकास के लिये उपयुक्त वनज में बढ़ोत्तरी कितनी होनी चाहिये।
- ✓ खून में सामान्य ग्लूकोज स्तर को प्राप्त करने एवं बनाये रखने के लिये कब/कितना भोजन करना है एवं कौन से हल्के-फुल्के व्यायाम करने हैं।

यह सब किसी चिकित्सक की देख-रेख में ही किया जाना आवश्यक है। अतः मधुमेह की पॉजीटिव जाँच वाली गर्भवती महिला को स्वास्थ्य इकाई पर चिकित्सक द्वारा Medical Nutrition Therapy दी जानी है, जिसे ए०एन०एम० द्वारा अनुसरण कराया जाना है, जिसके लिये सभी चिकित्सा इकाइयों के चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।



**Medical Management (Insulin Therapy)-** जिन गर्भवती महिलाओं की मधुमेह की पॉजीटिव जाँच के पश्चात एम०एन०टी० देने के 02 सप्ताह बाद भी जी०डी०एम० नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, उनके लिये केवल न्युलिन थैरेपी दी जानी है। जी०डी०एम० से प्रभावित गर्भवती महिलाओं में मधुमेह का नियंत्रण करने हेतु


फलो-चार्ट निम्नवत है-



नोट: गर्भवती महिलाओं द्वारा मधुमेह की गोलियों का सेवन नहीं किया जाना है क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है।

इन्स्युलिन के लिये भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार-

1. यह इन्जेक्शन केवल **Subcutaneously** (त्वचा की निचली सतह पर) लगाया जाना है
2. इन्स्युलिन इन्जेक्शन लगाने का स्थल
  - जाँघ के सामने अथवा बाहरी स्थान पर
  - पेट के ऊपर



3. इन्स्युलिन सीरिज, वॉयल एवं इन्स्युलिन के सम्बन्ध में

- इन्स्युलिन सीरिज- 40 IU का प्रयोग किया जायेगा। यदि उचित तरीके से प्रयोग किया जाये तो, 01 इन्स्युलिन सीरिज का प्रयोग 14 इन्जेक्शन लगाने के लिये किया जा सकता है।
- इन्स्युलिन वॉयल-40 IU/ml का प्रयोग किया जायेगा। इन्स्युलिन को रेफ्रिजरेटर में 04 से 08 डिग्री सेन्टीग्रेट (रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का तापमान) पर सुरक्षित रखा जाना है। प्रयोग में लायी हुयी इन्स्युलिन वॉयल को भी ठण्डे स्थान पर रखा जाना है। यदि रेफ्रिजरेटर उपलब्ध नहीं है तो वॉयल को मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखा जा सकता है। एक बार खुलने पर वॉयल का उपयोग 01 माह के भीतर सुनिश्चित किया जाना है।

किसी भी दशा में रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखी हुयी इन्स्युलिन वॉयल का प्रयोग नहीं किया जाना है। यदि भूलवश वॉयल फ्रीजर में रखी गयी है तो इस वॉयल को नष्ट कर दिया जायेगा।

➤ इन्स्युलिन इन्जेक्शन – Human premix insulin 30/70 का ही प्रयोग किया जाना है।

### Hypoglycemia (खून में शक्कर की कमी)

इन्स्युलिन लेने वाली गर्भवती महिलाओं में कभी भी रक्त में शक्कर की कमी (Hypoglycemia) हो सकती है। रक्त में 70 मिली ग्राम से कम शक्कर होने (Hypoglycemia) की स्थिति में तत्काल उपचार करना अति आवश्यक है। Hypoglycemia स्थिति को पहचानने के लक्षण—

**तत्कालीन लक्षण—**

- ✓ हाथ काँपना, पसीना आना, दिल का तेज तेज धड़कना, सिर दर्द, आसानी से थकान होना मुँह का सूखना एवं झुनझुनी इत्यादि।
- ✓ गम्भीर लक्षण—घबराहट, झुलझुलाहट, आँखों के सामने अँधेरा छा जाना, आसामन्य व्यवहार करना इत्यादि।
- ✓ कभी कभी दौरे भी पड़ सकते हैं अथवा पीड़िता बेहोश भी हो सकता है।
- ✓ यह एक खतरनाक स्थिति है जिसमें विलम्ब करने पर पीड़िता की जान भी जा सकती है।

### Hypoglycemia प्रबन्धन—

1. तत्कालीन लक्षण आते ही गर्भवती महिला को 03 बड़े चम्मच ग्लूकोज – sugar को पानी में घोलकर पिलाना है।
2. गर्भवती महिला को पूर्णतः आराम करना है।
3. 15 मिनट के पश्चात उसे सामान्य भोजन देना है (सब्जी, रोटी, फल जो भी उपलब्ध हो)
4. यदि Hypoglycemia की पुनरावृत्ति होती है तो ग्लूकोज / sugar को दोबारा दिया जाना है।
5. ग्लूकोज के अभाव में 6 बड़े चम्मच चीनी अथवा फलों का रस दिया जा सकता है।
6. Hypoglycemia की स्थिति में उपचार के पश्चात गर्भवती महिला को किसी चिकित्सक के पास संदर्भित किया जाना है।

चिकित्सक द्वारा इन्स्युलिन थैरेपी देने के साथ-साथ गर्भवती महिला को इन्जेक्शन लेने की विधि एवं स्थान के विषय में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। गर्भवती महिला को सीरिज एवं वॉयल के रख-रखाव के विषय में प्रशिक्षित किया जाना है, क्योंकि गर्भवती महिला द्वारा इन्स्युलिन स्वतः घर पर लिया जाना है। इसके साथ ही गर्भवती महिला को Hypoglycemia के विषय में अवगत कराना अति आवश्यक है, जिससे किसी प्रकार की कोई जटिलता उत्पन्न न हो।

### गर्भवती महिला की विशेष देख-रेख के सम्बन्ध में—

#### प्रसव पूर्व देख-भाल—

1. मधुमेह से पीड़ित गर्भवती महिला की स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा जाँच आवश्यक है। यदि गर्भ का 20 हफ्ते से पहले निदान हो जाता है तो एक अल्ट्रासाउण्ड होना अत्यन्त आवश्यक है जिससे गर्भस्थ शिशु की अवस्था के विषय में जानकारी हो सके।
2. उसके पश्चात् तृतीय त्रैमास के आरम्भ एवं अन्तिम चरणों में भी अल्ट्रासाउण्ड होना आवश्यक है जिससे गर्भस्थ शिशु के विकास एवं एमनियोटिक फ्लूयड के विषय में जानकारी मिल सके।
3. जिन गर्भवती महिलाओं में ब्लड-ग्लूकोज का स्तर नियंत्रण में है, उनमें भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित प्रसव पूर्व देख-भाल की जानी है।
4. यदि गर्भवती महिलाओं में ब्लड-ग्लूकोज नियंत्रण में नहीं है, अथवा कोई जटिलता उत्पन्न होती है, तो उनकी प्रसव पूर्व देख-भाल जाँचें हर दूसरे/तीसरे हफ्ते में की जानी है।
5. प्रत्येक बार गर्भस्थ शिशु के विकास (मैक्रोसोमिया/विकास में रूकावट) एवं पॉलीहाइड्रोएम्नियोस के लिये जाँच की जानी है।
6. इन महिलाओं में उच्च रक्त चाप/पेशाब में प्रोटीन एवं अन्य जटिलताओं के लिये भी निगरानी की जानी है।

- जिन मधुमेह पीड़ित गर्भवती महिलाओं में समय से पूर्व प्रसव (Preterm) कराने की आवश्यकता हो, उन्हें भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार इन्जेक्शन डेक्सामेथासोन 06 मि0ग्रा0 IM 12 घण्टे के अन्तराल पर 02 दिन तक दिया जाना है। इसके पश्चात 72 घण्टे तक इनके ब्लड ग्लूकोज स्तर का निरीक्षण किया जाना है एवं उसके अनुसार इन्स्युलिन की मात्रा को समायोजित किया जाना है।

#### गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु की देख-भाल-

- मधुमेह से पीड़ित गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु की गर्भाशय में मृत्यु की सम्भावना अधिक होती है, अतः इसके लिये अति सतर्क रहना आवश्यक है।
- प्रत्येक प्रसव पूर्व जाँच के समय गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन को सुनना अति आवश्यक है।
- गर्भवती महिला को प्रत्येक दिवस गर्भस्थ शिशु की गतिविधि (हिलना-डुलना) पर ध्यान रखना आवश्यक है। भोजन के पश्चात गर्भवती महिला को 1-2 घण्टे लेटना चाहिये जिसके दौरान उसे गर्भस्थ शिशु की गतिविधि की टोह लेनी चाहिये। यदि 02 घण्टे में गर्भस्थ शिशु 10 बार हरकत नहीं करता है, तो उसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता से सम्पर्क करना चाहिये एवं उच्च प्राथमिक केन्द्र पर चिकित्सक द्वारा जाँच करानी चाहिये।

#### प्रसव के समय-

- जिन गर्भवती महिलाओं का ब्लड ग्लूकोज स्तर सामान्य आता है, उनका प्रसव पास के प्रसव केन्द्र पर किया जा सकता है।
- मधुमेह पीड़ित गर्भवती महिलाओं (पॉजीटिव) का प्रसव केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देख-रेख में एफ0आर0यू0 प्रसव केन्द्र पर किया जाना है एवं उसे 01 सप्ताह पूर्व ही केन्द्र पर भर्ती हो जाना चाहिये जिससे उसकी देखभाल अच्छी प्रकार से हो सके।
- मधुमेह स्वयं में सिजेरियन का संकेतक नहीं है। अतः जब तक सिजेरियन के लिये कोई उचित कारण न हो, प्रसव सामान्य ही होना चाहिये।
- यदि गर्भवती महिलायें गर्भावस्था जनित मधुमेह से पीड़ित हैं तथा जिन्हें इन्स्युलिन दिया जा रहा है, उनकी प्लाज्मा ग्लूकोज की निगरानी ग्लूकोमीटर द्वारा की जानी है।
- प्रसव के दिन गर्भवती महिला को इन्स्युलिन की सवेरे की खुराक नहीं दी जायेगी तथा हर 02 घण्टे पर प्लाज्मा ग्लूकोज की जाँच होनी है।
- IV इन्स्युलिन द्वारा नॉर्मल सलाइन आरम्भ कर उसमें इन्स्युलिन की मात्रा ब्लड लेवल ग्लूकोज के अनुसार रखी जायेगी जैसा की नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है।

Blood glucose level	Amount of Insulin added in 500 ml NS	Rate of Infusion
90-120 mg/dl	0	100 ml/hr (16 drops/min)
120-140 mg/dl	4U	100 ml/hr (16 drops/min)
140-180 mg/dl	6U	100 ml/hr (16 drops/min)
>180 mg/dl	8U	100 ml/hr (16 drops/min)

#### जी0डी0एम0 पीड़ित प्रसूता की देखभाल -

- मधुमेह पीड़ित गर्भवती महिलाओं (पॉजीटिव) में प्रसवोपरान्त तीसरे दिन पी0पी0पी0जी0 की जाँच की जानी है जिस कारण इन्हें 48 घण्टे पर डिस्चार्ज नहीं किया जाना है।
- डिस्चार्ज के पश्चात 06 हफ्ते पश्चात ए0एन0एम0 द्वारा इनको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर जी0टी0टी0 किया जाना है जिसमें -
  - <140 mg/dl - सामान्य
  - 140-199 mg/dl -IGT
  - >200 mg/dl- मधुमेह से पीड़ित इन महिलाओं का इलाज टाइप-2 मधुमेह की तरह ही किया जाना है।

### जी0डी0एम0 पीड़ित प्रसूता के नवजात शिशु की देखभाल—

1. नवजात शिशु की देखभाल शीघ्रतिशीघ्र आरम्भ करनी चाहिये तथा हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव हेतु नवजात शिशु को तत्काल ही स्तनपान कराना आवश्यक है। यदि प्रसूता शिशु को अपना स्तनपान नहीं करा पा रही है तो शिशु को ऊपर का दूध दिया जाना चाहिये।
2. प्रसव के पश्चात पहले 04 घण्टों पर हर एक घण्टे पर हाइपोग्लाइसीमिया की जाँच की जानी है, जब तक शिशु के रक्त में ग्लूकोज के स्तर में स्थिरता न आ जाये। ग्लूकोमीटर द्वारा प्लाजमा ग्लूकोज यदि नवजात शिशु में 45 मि0ग्रा0/ डेसी ली0 से कम है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है। नवजात शिशु को स्तनपान/दूध पिलाने के 01 घण्टे के पश्चात प्लाजमा ग्लूकोज की जाँच पुनः की जानी है। यदि प्लाजमा ग्लूकोज >45 मि0ग्रा0/ डेसी ली0 है तो हर 02 घण्टे पर शिशु को स्तनपान/दूध पिलाना अति आवश्यक है।
3. यदि प्लाजमा ग्लूकोज <20 मि0ग्रा0/ डेसी ली0 है तो 10% Dextrose IV Bolus Injection दिया जाना है। इसके लिये 10% Dextrose की मात्रा शिशु के 2ml/kg body weight के अनुसार गणना कर दिया जाना है।
4. इसी के साथ नवजात शिशु में रिसपिरेटरी डिस्ट्रेस, झटके आना एवं बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ सकती है जिसके लिये सर्तक रहना चाहिये।
5. क्रम संख्या-3 एवं 4 के शिशुओं को शिशु रोग विशेषज्ञ को रेफर किया जाना आवश्यक है। अतः यह उचित होगा गर्भजनित मधुमेह से पीड़ित गर्भवती महिला का प्रसव ऐसे प्रसव केन्द्र पर हो जहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता हो।

### गर्भजनित मधुमेह में आशा/ए0एन0एम0 की भूमिका—

1. ग्राम स्तर पर आशा का कार्य गर्भवती महिलाओं को जाँच कराने हेतु प्रेरित करना है जिससे अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं की समय से जी0डी0एम0 की जाँच की जाये। जाँच के पश्चात मधुमेह से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य इकाइयों पर ले जाना एवं उनका फॉलो-अप किया जाना है।

### 2. ए0एन0एम0 का कार्य—

- वी0एच0एन0डी0 एवं उपकेन्द्र पर मधुमेह की जाँच करना एवं पॉजीटिव गर्भवती महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भित कर उनका उपचार सुनिश्चित कराना।
- एम0एन0टी0 (भोजन एवं हल्के-फुल्के व्यायाम) वाली गर्भवती महिलाओं का उपकेन्द्र/वी0एच0एन0डी0 पर, बार-बार इस हेतु उन्नमुखीकरण करना।
- समय समय पर ए0एन0एम0 मधुमेह से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का फॉलो-अप करेगी एवं उन्हें खान-पान, हल्के-फुल्के व्यायाम एवं इन्स्युलिन के प्रयोग के अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी।
- रिपोर्टिंग प्रपत्रों को भरना एवं सम्बन्धित दस्तावेजों का उचित रख-रखाव करना।
- संलग्न दिये गये जी0डी0एम0 के प्रारूप अनुसार ब्लॉक पर रिपोर्ट प्रेषित करना एवं उसका फॉलो-अप करना।

### प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमिका—

1. चिकित्साधिकारी/स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0/एल0टी0 अपने प्रशिक्षण अनुसार कार्य करेंगे।
2. चिकित्साधिकारी गर्भजनित मधुमेह का मेडिकल न्यूट्रीशियन मैनेजमेण्ट एवं इन्स्युलिन थैरेपी देंगे। यदि इन्स्युलिन से भी जी0डी0एम0 का नियंत्रण नहीं हो पाता है तो उन्हें उच्च स्वास्थ्य केन्द्र पर सन्दर्भित करेंगे।

नोट: सभी जी0डी0एम0 पीड़ित महिलाओं का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अंकन सुनिश्चित किया जायेगा एवं समय समय पर ट्रेकिंग की जायेगी जिससे इन महिलाओं का उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

### ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र की भूमिका—

1. चिकित्साधिकारी/स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0/एल0टी0 अपने प्रशिक्षण अनुसार कार्य करेंगे।

2. चिकित्साधिकारी गर्भजनित मधुमेह पीड़िता को मेडिकल न्यूट्रीशियन मैनेजमेण्ट एवं इन्स्युलिन थेरेपी देंगे। यदि इन्स्युलिन से भी जी0डी0एम0 का नियंत्रण नहीं हो पाता है तो उन्हें उच्च स्वास्थ्य केन्द्र पर सन्दर्भित करेंगे, जहाँ पर विशेषज्ञ द्वारा गर्भजनित मधुमेह पीड़िता का उपचार किया जायेगा।
3. जी0डी0एम0 के प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं अपने स्वास्थ्य केन्द्र पर आयी हुयी गर्भवती महिलाओं की रिपोर्ट को संकलित कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

#### एफ0आर0यू0/जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज-

1. एफ0आर0यू0/जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज पर विशेषज्ञों द्वारा जी0डी0एम0 का सम्पूर्ण प्रबन्धन भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। मधुमेह पीड़ित गर्भवती महिलाओं (पॉजीटिव) का प्रसव स्त्री रोग विशेषज्ञ की देख-रेख में एफ0आर0यू0 प्रसव केन्द्र पर सुनिश्चित किया जाना है। 01 सप्ताह पूर्व ही उन्हें केन्द्र पर भर्ती होने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जिससे उनकी मधुमेह एवं गर्भस्थ शिशु की देखभाल अच्छी प्रकार से हो सके।
2. अपने स्वास्थ्य केन्द्र पर आयी हुयी गर्भवती महिलाओं की रिपोर्ट को जी0डी0एम0 के प्रारूप पर संकलित कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

#### मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भूमिका-

1. ग्लूकोमीटर को प्रत्येक स्वास्थ्य इकाइयों (जिला अस्पताल, सी0एच0सी0, पी0एचम0सी0 एवं उपकेन्द्रों) पर उपलब्ध करायेंगे।
2. ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप एवं लैन्सेट की समय समय पर आवश्यकतानुसार प्रतिपूर्ति करायेंगे।
3. प्रदेश की कुल पंजीकृत ए0एन0सी0 में से 30-35 प्रतिशत ए0एन0सी0 उच्च स्वास्थ्य इकाइयों (मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, एफ0आर0यू0/नॉन-एफ0आर0यू0 ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई एवं पी0एच0सी0) पर जाँच कराने हेतु पहुँच रही है। अतः जनपदों को दिये जा रहे कुल 75 ग्राम ग्लूकोज पैकेट में से 65-70 प्रतिशत पैकेट को ए0एन0एम0 में आवश्यकतानुसार वितरित किया जाये। शेष ग्लूकोज पैकेट को स्वास्थ्य इकाइयों, जिसमें मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल भी शामिल हैं, ए0एन0सी0 के भार (load) के अनुसार वितरित किया जाना है।
4. इस कार्यक्रम को समुदाय में ले जाने से पहले जिला अस्पताल पर लागू कर दिया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे आने वाली कठिनाइयों को पहचान कर उनका निराकरण किया जाये।
5. जी0डी0एम0 के लिये लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर प्रसव पूर्व आवश्यक जाँचों में ब्लड शूगर फास्टिंग एवं ब्लड शूगर पी0पी0 के स्थान पर जी0डी0एम0-प्रथम एवं द्वितीय कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त जी0डी0एम0 पॉजीटिव महिला के एम0सी0पी0 कार्ड पर स्टैम्प लगाकर पी0पी0पी0जी0 (दोपहर के भोजन के उपरान्त) की जाँच को अंकित किया जाना है, जिससे लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड को देखते ही चिकित्सक द्वारा उसे गर्भजनित मधुमेह से चिन्हित कर लिया जायेगा। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ए0एन0एम0 एवं प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई पर एक स्टैम्प एवं लाल इंक-पैड उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्टैम्प का प्रारूप निम्नवत् है-

दिनांक.....

पी0पी0पी0जी0.....

आपको गर्भावस्था में मधुमेह की पहचान एवं प्रबंधन हेतु प्रेषित किये जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश के साथ ही जी0डी0एम0 की रिपोर्टिंग हेतु प्रपत्र का प्रारूप भी संलग्न है। आपसे अपेक्षा है कि आप शीघ्रातिशीघ्र प्रपत्रों एवं दिशा-निर्देशों को प्रत्येक स्वास्थ्य इकाइयों (मेडिकल कॉलेज, जिला संयुक्त

चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, एफ0आर0यू0/नॉन-एफ0आर0यू0 ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी, पी0एच0सी0 एवं उपकेन्द्र) पर उपलब्ध करायेंगे एवं जी0डी0एम0 की रिपोर्टिंग को संलग्न प्रपत्र के प्रारूप पर राज्य स्तर पर मातृ स्वास्थ्य अनुभाग की ई-मेल [gmmhup@gmail.com](mailto:gmmhup@gmail.com) एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की ई-मेल [jsymch@gmail.com](mailto:jsymch@gmail.com) पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक-एस0पी0एम0यू0/मातृस्वा0/जी0डी0एम0/137/2017-18/  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।

(डॉ0 स्वप्ना दास)

महाप्रबंधक मातृ स्वा0

